

अधिसूचना

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ ( उत्तर मध्य रेल मथुरा झोंसी के मध्य तीसरी रेल निर्माण ) ग्राम- चुरहैला प०ह०क०-79 रा०नि० वृत्- 07 तहसील -बानमौर उपखण्ड- बानमौर जिला-मुरैना में कुल 0.689 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- चुरहैला, प०ह०क०-79 रा०नि० वृत्- 07 तहसील- बानमौर उपखण्ड-बानमौर जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना  
ख. तहसील बानमौर  
ग. ग्राम चुरहैला  
घ. लगभग क्षेत्रफल 0.689 हेक्टेयर  
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	
1	508/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	उदयसिंहपुत्र रघोरसिंह राकेश जगदीश पुत्रगण उदय सिंह स० भाग जाति गु०ठा० नि ग्राम भूमिस्वामी।
2	508/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	जयराम पुत्र रन्धोर जाति गु०ठा० पता निवासी ग्राम
3	508/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	बुदेश पुत्र मोहरमनि जाति गु०ठा० निवासी ग्राम
4	508/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	कुसुमा पुत्र उदयसिंह जाति गु०ठा० पता निवासी ग्राम।
5	508/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गु०ठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल राममजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ सभा हि 3/4 जाति गु०ठा. जरारा भूमिस्वामी।
6	508/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गु०ठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल राममजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ सभा हि 3/4 जाति गु०ठा. जरारा भूमिस्वामी।
7	508/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.088	राकेश सिंह एदल सिंह पुत्रगण कृषाराम जाति गु०ठा० पता निवासी ग्राम।
8	507	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गु०ठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल राममजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ सभा हि 3/4 जाति गु०ठा. जरारा भूमिस्वामी।
9	505	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	मु राजावेटी बेवा रामेश्वर परिमाल रामराज पि रामेश्वर मीरा पुत्री रामेश्वर जाति गु०ठा० स०भा० हि 1/4 रामजीलाल राममजन रामनारायण पुत्रगण दीनानाथ सभा हि 3/4 जाति गु०ठा. जरारा भूमिस्वामी।
कुल कित्ता	09			0.689	

और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबधित सम्यक जाच के पश्चात की गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले समाविष्ट कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे मार्गों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये मू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

स्थान : मुरैना

तारीख : 21/05/20

  
(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (M0प्र0)

पृष्ठांकन क्र० 01/अ-82/मू-अर्जन/2019-20/ मुरैना, /4386

दिनांक : 22/05/2020

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्र मुद्रणालय M0प्र0 भोपाल की ओर राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन हेतु।
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल की ओर दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. कलेक्टर, जिला-मुरैना के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना, जिला-मुरैना के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
5. मुख्य परियोजना प्रबंधक रेल विकास निगम लि. झांसी की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार, परगना मुरैना की ओर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन तहसील, पुलिस स्टेशन, ग्राम पंचायत के सूचना पटल एवं स्थल पर प्रकाशन/घरघर कराने एवं ग्राम में मुनादी उपरांत तामीली प्रति भेजने हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुरैना की ओर कलेक्टर, जिला-मुरैना (समुचित सरकार) के कार्यालय की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
(प्रियंका दास)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जिला-मुरैना (M0प्र0)